न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई०ए०एस

प्रकरण सं. 10/2016 प्रार्थना पत्र (निगरानी)

श्री मन्नालाल पिता श्री गमेरलाल गमेती, निवासी प्रतापपुर, ग्राम पंचायत अम्बेरी, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

......निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री रमेश ब्राम्हण पिता श्री मांगीलाल ब्राम्हण, निवासी बेदलाखुर्द, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत अम्बेरी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अम्बेरी, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

..........विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 सपठित राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत अम्बेरी, दिनांक 31.03.2008 मिसल संख्या 14 बाबत् पट्टा निरस्तीकरण हेतु

उपस्थित :–(1) श्री हनुमान शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
(2) श्री सुनील शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
(3) श्री कैलाश नागदा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

निर्णय

दिनांक– 15.11.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम पंचायत अम्बेरी में प्रतापपुरा क्षेत्र का स्थायी निवासी होकर पंचायत द्वारा किये जान वाले कार्य बाबत् सजग रहता हैं। पंचायत की गतिविधि पर पुरी नजर रखकर पंचायत अम्बेरी क्षेत्र में विकास कार्य के सुचारू रूप से हो इसलिये यह निगरानी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। ग्राम पंचायत अम्बेरी द्वारा बिना किसी अधिकार के ग्राम पंचायत अम्बेरी के क्षेत्र से बाहर रहने वाले

व्यक्तियों का पट्टे जारी किये गये। जिस पर मौखिक आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को राजस्व अभियान में राजकीय उच्च अधिकारीयो की मौजुदगी में पट्टा तैयार कर विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया। नाथूलाल, मांगीलाल पिता वक्ता गाडरी निवासी ओटो का गुड़ा की पुश्तैनी कब्जेशुदा बाड़ा जो कि राजस्व ग्राम ओटो का गुड़ा पटवार मण्डल सापेटिया ग्राम पंचायत अम्बेरी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर की आराजी संख्या 281 किस्म आबादी में स्थित था और उस भूमि को नाथूलाल, मांगीलाल ने रमेश ब्राम्हण वगैरा को जरिये विक्रय इकरार से अलग अलग नाम से विपक्षी संख्या 1 को 1916 वर्गफीट भूमि को बेचत हुए कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। विक्रय इकरार के आधार पर आराजी संख्या 281 किस्म आबादी के बाबत् शिविर मुख्य मंत्री महासंबल अभियान 2008 जो कि राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.12.07 के तहत पारीत आदेशो के आधार पर पुराने कब्जे के आधार पर पात्र व्यक्तियों को रियायती दरो पर भूखण्ड आवंटन नियमन एवं पट्टे जारी करने की कार्यवाही राजकीय उच्चाधिकारीयो की मौजुदगी में करते हुए पट्टे जारी करने के आदेश दिये गये जो पट्टे गाम पंचायत अम्बेरी के बाहर के लोगो को भी पट्टे जारी किये गये जबकि जिस भूमि बाबत् पट्टे जारी किये गये उस भूमि पर नाथूलाल, मांगीलाल का पुश्तनी कब्जा था व उस भूमि को जरिये विक्रय इकरार भूमि बेची और खरीददार द्वारा जारी पट्टे अपने नाम पर जारी कराये गये जो कानुनन सही नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं। विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है वह राजस्थान पंचायती राज अधिनयम की पालना किये बिना जारी किये गये हैं। पंचायत अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के अन्तर्गत ही पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जा सकते हैं। विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा किसी भी सूरत में कानुनन सही नहीं हो सकता हैं। क्योंकि वह

परिपत्र किसी भी अधिसूचना म प्रकाशित नहीं किया गया हैं। फिर भी प्रार्थी को कथित फर्जी पट्टे की जानकारी होते ही यह निगरानी पेश की गई हैं। वैसे भी न्यायालय स्वप्रेरणा से भी पट्टे के आवंटन बाबत् सत्यता की जॉच करा सकती हैं। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर पंचायत अम्बेरी द्वारा जारी पट्टे दिनांक 31.03.08 मिसल नम्बर 14 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का भी प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी गाम अम्बेरी के प्रतापपुरा क्षेत्र का स्थायी निवासी हैं। प्रार्थी को राजस्व अभियान 2008 में सरकार के परिपत्र दिनांक 29.12.07 के तहत जो पट्टा जारी किया गया है वह नियमो के विरूद्ध जारी किया गया हैं। जिसकी प्रार्थी निगरानी पेश करना चाहता हैं। जिसकी स्वीकृति चाही गई हैं।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिय नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत से अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मांगी गई। जिस पर पंचायत समिति बड़गॉव द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया है कि प्रकरण से संबंधित पत्रावली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर में जमा करवायी गई हैं। जिस बाबत् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर से संबंधित पत्रावली की छायाप्रति मंगवाई गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा अपने पत्र कमाक भ्रनिब्यू/उदय/अप/14/549 दिनांक 21.06.18 से पत्रावली भिजवाते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में तत्कालीन ग्राम सेवक अम्बेरी एवं अन्य के विरूद्ध ब्यूरो में अपराध संख्या 445/14 से 452/14 दिनांक 23.12.14 पंजीबद्ध होकर वर्तमान में सभी प्रकरणो में आरोपी श्री दिलखुश नाहर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दायर करने के कारण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। विकास अधिकारी बड़गॉव से राजस्व अभियान 2008 का राज्य सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 9 (190) राज–6/2007/44 दिनांक 29.12.07 की प्रति मय एफ.आई.आर. की प्रति मंगवाई गई। तहसीलदार बड़गॉव से आराजी संख्या 281 की जमाबन्दी की प्रति मंगवाई गई जो संलग्न पत्रावली हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया हैं।

अपने जवाब में विपक्षी संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता की निगरानी को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि पंचायत अम्बेरी द्वारा जो पट्टे जारी किये गये है वह राजस्व अभियान में राजकीय उच्च अधिकारीयो की मौजुदगी में तैयार कर विपक्षी संख्या 2 को जारी किया गया और यह स्वीकार है कि राजस्व ग्राम ओटो का गुड़ा पटवार मण्डल सापेटिया ग्राम पंचायत अम्बेरी तहसील गिर्वा के आराजी संख्या 281 किस्म आबादी में श्री नाथूलाल पिता वक्ता गाडरी का पुश्तैनी कब्जेशुदा बाड़ा स्थित था और उस बाड़े को नाथूलाल व मांगीलाल ने विपक्षी संख्या 1 का जरिये विक्रय ईकरार से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था। आराजी संख्या 281 किस्म आबादी के बाबत् शिविर मुख्यमंत्री महासम्बल अभियान 2008 जो कि राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.12.07 के तहत पारित आदेशो के आधर पर पुराने कब्जो के आधार पर पात्र व्यक्तियो को रियायती दरो पर भूखण्ड आवंटन/नियमन और पट्टा जारी करने की कार्यवाही राजकीय उच्चाधिकारीयो की मौजुदगी में की गई। ऐसी स्थिति में पट्टा पूर्ण रूप से सही हैं। पंचायत द्वारा पट्टे उच्चाधिकारीयो की मौजुदगी में शिविर में जारी किये गये हैं। इसलिये पट्टे को निरस्त करने का कोई अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नहीं हैं और नाही विपक्षी संख्या 2 पट्टे जारी कर पट्टे निरस्त कर सकता हैं। पंचायत क आदेश पूर्ण रूप से सही हैं। तथाकथित भूमि नाथूलाल, मांगीलाल की पुश्तैनी भूमि को विपक्षी संख्या 1 ने खरीदा और अभियान के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और उसके आधार पर पट्टे जारी किये

गये हैं। इसलिये प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है कि पट्टे को निरस्त करावें। ग्राम पंचायत द्वारा परिपत्र दिनांक 29.12.07 के आधार पर पट्टे जारी किये गये हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पंचायत द्वारा मुख्यमंत्री महासंबल अभियान 2008 राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.12.07 के तहत राजकीय उच्चाधिकारीयो की मौजूदगी में पुराने कब्जो के आधार पर पट्टे जारी किये गये है इसलिये प्रार्थी तथाकथित पट्टो को निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है। फिर भी न्यायालय इस नतीजे पर पहूँचता है कि तथाकथित पट्टे को निरस्त किया जावें तो विपक्षी अपने अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए यह निवेदन करता है कि तथाकथित भूमि को विपक्षी संख्या 1 के नाम नियमानुसार नियमन किया जावें और जो राशि आरक्षित दर से बनती है वह विपक्षी संख्या 1 जमा कराने को तैयार हैं। अतः प्राथी की निगरानी खारीज फरमायी जावें।

विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि पंचायत के विकास कार्यो में सुझाव देना व सहयोग करना पंचायत के समस्त निवासीयो को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के तहत ग्रामीण क्षेत्रो मे विकास एवं प्रशासन हेतु पंचायती राज संस्थाओ के गठन के प्रावधान किये गये हैं। उक्त पंचायती राज संस्थाओ के संचालन एवं कार्य निष्पादन हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 वर्तमान में प्रभावी हैं। इन प्रावधानो के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में विकास एवं प्रबन्ध के कार्य किये जाने हेतु गठित पंचायती राज संस्था द्वारा इस संबंध में निर्णय लिये जाते है एवं ग्रामवासियो के कल्याण हेतु विकास एवं अन्य रचनात्मक कार्य किये जाते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रथम अनुसूचि में पंचायतो के कार्य एवं शक्तियो का वर्णन किया गया है, जिसमें पंचायत के साधारण कृत्यो के साथ साथ 33 विषयो से संबंधित कार्य किये जाने की अधिकारीता ग्राम पंचायत को प्रदान की

गई है इसके अतिरिक्त अन्य विषयो पर भी राज्य सरकार ग्राम पंचायतो को अधिकार प्रदान कर सकती हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 9 धारा 136 में प्रावधान है कि 136 पंचायत की सम्पत्तियॉ (1) पंचायत सर्कल के भीतर कॉमन भूमियॉ और सार्वजनिक मार्ग उनके खण्डजो, पत्थरो एवं अन्य सामग्री रहीत के साथ ही आबादी क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी सरकारी भूमियॉ पंचायत में निहीत होगी और उसकी होगी। पंचायत सर्कल के भीतर की अन्य सभी सरकारी भूमियो का प्रबन्ध पंचायत द्वारा ऐसी शर्तो एवं निर्बन्धो के अधीन रहते हुए किया जावेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अभिरोपित किये जावें। उक्त प्रावधान के अनुसार भी जो अभिलेख के अनुसार निजी व्यक्ति के स्वामित्व की नहीं हो पंचायत क्षेत्र में निहीत आबादी की समस्त भूमियों पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता हैं तथा उक्त प्रावधान के उपनियम 3 के अनुसार ग्राम पंचायत इन समस्त भूमियो को न्यासी के रूप में धारण करती हैं। निगरानी में वर्णित भूमि भी ग्राम पंचायत अम्बेरी में निहीत होने से विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थी द्वारा नाथूलाल, मांगीलाल पिता वक्ता गायरी निवासी ओटो का गुड़ा से एक भूखण्ड क्षेत्रफल 1916 वर्गफीट क्रय किया था जिसका पट्टा पंचायत से लेना चाहती हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.02.08 को प्रकरण दर्ज कर दिनांक 31.03.08 को प्रार्थीया के पक्ष में आबादी भूमि का विक्रयनामा नियम 156 के तहत भूमि विक्रय कर पट्टा जारी किया गया। जो मुख्यमंत्री महासम्बल योजना के तहत जारी किया गया और यदि न्यायालय उक्त भूखण्ड बाबत् प्रचलित बाजार दर डीएलसी से राशि प्राप्त करने हेतु आदेशित करती है वह राशि विपक्षी संख्या 1 से पंचायत प्राप्त करने की अधिकारी हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 156 के प्रावधानानुसार आपसी बातचीत के द्वारा भी भूमि विक्रय

कर सकती है जहॉ पर भूमि निलामी से लेने वाला कोई नहीं मिले परन्तु उक्त राशि डी.एल.सी. की दर से कम नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा डी.एल.सी. से कम दर पर विक्रय किया गया हैं। जो प्रावधानो के विपरीत हैं। ग्राम पचायत अम्बेरी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा अवैध होकर निरस्त योग्य हैं। इसके उपरान्त भी यदि न्यायालय डी.एल.सी. दर से राशि वसूल करने हेतु आदेशित करती है तो वह राशि विपक्षी संख्या 1 से प्राप्त की जा सकती हैं। तथाकथित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा नियम 156 में जारी किया गया हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का दायित्व था कि वह पट्टा जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करती की प्रार्थी को भूमि का विधिवत स्वामित्व प्राप्त हुआ है या नही। अर्थात् भूमि जिससे कय की गई उक्त विकेता को भूमि का स्वामित्व किस प्रकार प्राप्त हुआ एवं प्रार्थी केता ने विधिक प्रावधानो की पालना कर भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया है अथवा नहीं। इस प्रकार स्वामित्व के दस्तावेजो की श्रंखला के अभाव में एवं प्रावधानो के विपरीत पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 141 के तहत उक्त भूमि सार्वजनिक निलामी के माध्यम से विक्रय नहीं कर तत्कालीन सरपंच सचिव द्वारा पट्टा जारी कर दिया गया है जो प्रावधानो के विपरीत हैं। किसी भी भूमि को बाजार दर/ डीएलसी दर से कम पर नहीं बेचा जा सकता हैं। पंचायत द्वारा उक्त संबंध में कोई अनुमोदन साथ में नहीं किया गया हैं। यदि न्यायालय उक्त भूखण्ड बाबत् विद्यमान बाजार दर/डीएलसी से राशि प्राप्त करने हेतु आदेशित करती है तो वह राशि विपक्षी संख्या 1 से ग्राम पंचायत अम्बेरी द्वारा प्राप्त करने की अधिकारी हैं। अतः ग्राम पचायत द्वारा पट्टा दिनांक 31.03.08 मिसल संख्या 14 निरस्त करने एवं उक्त भूमि ग्राम पंचायत अम्बेरी को सिपुर्द करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुना गया। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि गाम पंचायत अम्बेरी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पंचायती राज अधिनियम में प्रदत्त नियमो से परे हटकर मुख्मंत्री महासंबल अभियान 2008 के तहत भूमि का पट्टा जारी किया गया है जबकि विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत अम्बेरी का स्थायी निवासी नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे की भूमि विपक्षी संख्या 1 द्वारा नाथूलाल, मांगीलाल पिता वक्ता गाडरी निवासी ओटो का गुड़ा की पुश्तैनी कब्जेशुदा बाड़े की भूमि जो राजस्व ग्राम ओटो का गुड़ा पटवार मण्डल सापेटिया ग्राम पंचायत अम्बेरी की आराजी सख्या 281 किस्म आबादी में थो जिसमें से 1916 वर्गफीट भूमि कय कर ली गई है जो विकय ईकरार स्टाम्प कीमत 100 रूपये पर होकर 17.07.06 का अपंजीकृत दस्तावेज हैं। जिसके आधार पर भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया है जिसमें पंचायत अधिनियम की पालना नहीं की गई हैं। क्योंकि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का ना तो कोई कब्जा था ना उससे विकय मुल्य ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया हैं। जबकि पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पंचायत मे स्थित आबादी भूमि का विकय किया जा सकता हैं। इस मामले म विकय की गई भूमि बाजार दर/ डीएलसी से कम पर नहीं बेची जा सकती हैं। पंचायत द्वारा उक्त संबंध में कोई अनुमोदन भी नहीं लिया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह भूमि कय कर ली गई है तो उसका स्वामित्व किस प्रकार हुआ यह भी ग्राम पंचायत द्वारा अपनी जॉच में नहीं लिया गया हैं। मात्र राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29.12.07 के आधार पर राजकीय उच्च अधिकारीयो की मौजुदगी में पट्टा जारी किया गया हैं। किसी परीपत्र के आधार पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। जो प्रावधान अधिनियम में प्रदान किये गये

है उन्हीं के तहत पट्टा जारो किया जा सकता हैं। अतः ग्राम पंचायत अम्बेरी द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 31.03.08 मिसल संख्या 14 से प्रदान किया गया है उसे निरस्त करना फरमावें। भूमि को पुनः ग्राम पंचायत के कब्जे में लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है नाही वह कोई हितबद्ध व्यक्ति हैं। विपक्षी संख्या 1 को जिस भूमि का पट्टा दिया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत की भूमि थी। ग्राम पंचायत अपनी भूमि के पट्टे विधिवत दे सकती हैं। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि राजस्व ग्राम ओटो का गुड़ा पटवार मण्डल सापेटिया ग्राम पंचायत अम्बेरी तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 281 किस्म आबादी में श्री नाथूलाल पिता वक्ता गाडरी का पुश्तैनी कब्जेशुदा बाड़ा स्थित था उस बाड़े को नाथूलाल, मांगीलाल ने विपक्षी संख्या 1 को जरिये विक्रय ईकरार से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया था। आराजी संख्या 281 किस्म आबादी बाबत् शिविर मुख्यमंत्री महासंबल अभियान 2008 जो कि राजस्थान सरका के परिपत्र दिनांक 29.12.07 के तहत पारित आदेशो के आधार पर पुराने कब्जो के आधार पर पात्र व्यक्तियो को रियायती दरो पर भूखण्ड आवंटन /नियमन और पट्टे जारी करने की कार्यवाही राजकीय उच्चाधिकारीयो की मौजुदगी में जारी किये गये और ऐसी स्थिति में विपक्षी के पक्ष में जारी पट्टा जो कि राजकीय उच्चाधिकारीयो की मौजुदगी में शिविर के दौरान जारी किया गया है वह पूर्ण रूप से सही और इसके संबध में समय समय पर राज्य सरकार द्वारा परीपत्र भी जारी किये जा चुके हैं। तथाकथित पट्टा नाथूलाल, मांगीलाल की पुश्तैनी कब्जे की भूमि को विपक्षी संख्या 1 ने खरीदा और मुख्यमंत्री महासम्बल अभियान 2008 के तहत नियमन योग्य भूमि का पट्टा

जारी करने हेतु विपक्षी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और उसके आधार पर पट्टे जारी किये गये हैं। इसलिये प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है कि पट्टे जारी करने के आदेश को निरस्त करावें। अतः प्रार्थी की निगरानो को इसी स्तर पर खारीज फरमावें।

विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी जिरह में निवेदन किया है कि तत्समय की ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा की भूमि विपक्षी संख्या 1 द्वारा नाथूलाल, मांगीलाल पिता वक्ता गाडरी निवासी ओटो का गुड़ा का भूखण्ड क्षेत्रफल 1916 वर्गफीट का क्रय किया था। जिसके आधार पर विक्रयनामा नियम 156 के तहत भूमि विक्रय कर पट्टा जारी किया गया जो मुख्यमंत्री महासम्बल योजना के तहत जारी किया गया हैं। जबकि नियम 156 के अनुसार भूमि की विद्यमान बाजार दर/ डीएलसी से कम दर पर भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता हैं। तत्समय की ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है जो प्रावधानो के विपरीत हैं। जिस बाबत् विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा अवैध होकर निरस्त योग्य हैं। यदि न्यायालय इस संबंध में डीएलसी दर से राशि वसुल करने हेतु आदेशित करती है तो वह राशि विपक्षी संख्या 1 से प्राप्त की जा सकती हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह भूमि क्रेता से 100 रूपये के स्टाम्प पर लिखापढी कर क्रय की गई है भूमि सम्पत्ति अन्तरण के प्रावधानानुसार 100 रूपये से अधिक कीमत की भूमि का विधिवत विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीकृत किये जाने पर ही भूमि का स्वामित्वकर्ता में निहित होता हैं। इस पट्टे में क्रेता द्वारा भूमि का विधिवत स्वामित्व प्राप्त नहीं होने के बावजुद पट्टा जारी किया गया हैं। जो अवैध होकर निरस्त योग्य हैं। यह ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि पट्टा जारी करने से पूर्व सुनिश्चित करती की प्रार्थी को भ्मि का विधिवत स्वामित्व प्राप्त हुआ है या नहीं अर्थात भूमि जिससे क्रय की गई वह विधिवत हस्तान्तरण हुई है अथवा नहीं।

विपक्षी संख्या 1 को भूमि का स्वामित्व किस प्रकार प्राप्त हुआ। स्वामित्व के दस्तावेजो की श्रृंखला के अभाव में एवं प्रावधानो के विपरीत विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया है वह भी निरस्त योग्य हैं। होना यह चाहिये था कि नियम 141 के तहत उक्त भूमि सार्वजनिक निलामी के माध्यम से ही विक्रय की जा सकती थी। जो नही की गई। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा दिनांक 31.03.08 मिसल संख्या 14 निरस्त करने एवं उक्त भूमि ग्राम पंचायत अम्बेरी को सिपुर्द करने के आदेश फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर से प्राप्त पट्टा आवंटन की पत्रावली संख्या 14 की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति बड़गॉव द्वारा पषित प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं परिपत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत अम्बेरी द्वारा विपक्षी संख्या 1 का मौजा ओटो का गुड़ा की आराजी संख्या 281 पर आबादी भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 156 के अन्तर्गत दिया जाना प्रतित होता हैं। पंचायती राज अधिनियम के तहत नियम 156 के अनुसार ''156. प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण :– (1) पंचायत किसी भी आबादी भूमि कोई प्राईवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये निम्न मामलो में अन्तरित कर सकती है (क) जहॉ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्यायसंगत हो और निलाम से उचित किमत प्राप्त नहीं हो सकती हो (ख) जहॉ कोई अतिचार हो या लेखबद्ध किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि निलाम उस भूमि के निवर्तन का कोई सविधाजनक ढंग नहीं होगा और (ग) जहॉ तक नियम 144 के उपनियम (1) व (2) के अनुसार भूमि की कोई पट्टी हो और एक ही आवेदक हो (2.) किसी भी मामले में ऐसी

आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियम और विकास अधिकारी द्वारा गॉव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संस्चित कीमत से नीचे की किसी दर पर अन्तरित नहीं की जावेगी। (3.) किसी बाजार या वाणिज्य क्षेत्र में ऐसी बाजार कीमत निवासीय क्षेत्रो के लिये नियम कीमत की दुगुनी से कम नहीं होगी।

ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है उसमें इन किसी भी प्रावधानो का पालन हीं किया गया हैं। पुलिस निरीक्षक ब्यूरो ईकाई उदयपुर द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट 446/14 दिनांक 23.12.14 जो कि तत्कालीन सचिव सरपंच एवं विपक्षी संख्या 1 श्री रमेश ब्राम्हण के विरूद्ध दर्ज की गई है उसमें भी यह लिखा है कि ''ग्राम पंचायत अम्बेरी के द्वारा उपरोक्त नियमो की अनदेखी कर नियम 156 के तहत पट्टे जारी किये जाने से पूर्व तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव, तत्कालीन सरपंच एवं वार्डपंचो की उपस्थिति में ग्राम पंचायत अम्बेरी के पंचो की बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर वर्ष 2007–2008 में दिनांक 18.02.08 को पंचायत बैठक मे आबादी भ्मि के भूखण्डो के पट्टे चाहने हेतु आवेदन पत्रो का इन्द्राज प्रस्ताव संख्या 4 में कर अगली कोरम में निर्णय लेने का अंकन किया। तत्पश्चात् दिनांक 31.03.08 को पंचो की बैठक कार्यवाही में प्रस्ताव संख्या 4 में सर्वसम्मति से राज्य सरकार के नियमानुसार शुल्क जमा कराने पर ही पट्टा जारी किया जावें किन्तु बैठक में सदस्यो द्वारा प्रार्थी की आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं होने से रियायत दर पर ही पट्टा जारी करने की बात कही गई का अंकन करते हुए वार्डपंच एवं सरपंच के हस्ताक्षर बैठक कार्यवाही रजिस्टर में हैं। तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव एवं दिनाक 31.03.08 को पट्टा संख्या 2 पट्टाधारक को 1 रूपया प्रति वर्गफीट की दर से कुल 1916 वर्गफीट के कुल 1916 रूपये वसूल किये जिसका ग्राम पंचायत अम्बेरी में संधारीत रोकड़ पंजिका वर्ष 2007–08 के पृष्ठ संख्या 51 दिनांक 31.03.08 पर इन्द्राज

कर रोकड़बही के उक्त पृष्ठ पर सरपच एवं सचिव की पद मोहर पर उनके हस्ताक्षर अंकित हैं। एफआईआर में दर्ज अनुसार तत्समय उक्त भूमि की न्यूनतम डीएलसी दर 60 रूपये प्रति वर्गफीट थी।''

विपक्षी संख्या 1 द्वारा राज्य सरकार के जिस परिपत्र दिनांक 29.12.07 का हवाला दिया जा रहा है उस परिपत्र की बिन्दु संख्या 22(viii)(द) अनुसार पात्र व्यक्तियो को रियायती दरो पर भूखण्ड आवंटन आबादी क्षेत्र में अवैध कब्जो का नियमन एवं पूर्व मे बने मकानो के पट्टे जारी करने का प्रावधान दिया हुआ हैं। आवंटन पत्रावली मे मिसल संख्या 14 के पट्टा सख्या 2 का अवलोकन किया गया जिसमे पट्टे की कॉलम संख्या 2 में स्पष्ट लिखा गया है उक्त भूमि को 1 रूपया दर पर बातचीत के द्वारा बेचा गया। (बातचीत द्वारा विक्रय के लिये प्रयोज्य) तथा उसे विक्रेता पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 31.03.08 द्वारा स्वीकृत किया गया तथा आदेश संख्या – दिनांक – द्वारा पंचायत समिति/जिला परिषद/राज्य सरका द्वारा उसकी पुष्टि कर दी गई हैं। परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने पर यह कही भी जाहीर नहीं आया है कि विपक्षी संख्या 1 से आपसी बातचीत क्या की गई। फिर 1916 वर्गफीट का भूखण्ड विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय किया गया तो उसकी स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा सक्षम अधिकारी से प्राप्त क्यो नहीं की गई। निरीक्षण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उस भूमि की जो रिपोर्ट ली गई उस समय की डीएलसी दर 60 रूपये प्रतिवर्गफीट थी। 1 रूपये वर्गफीट पर भूमि का पट्टा किस आधार पर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्वयं अपने आवेदन पत्र यह स्वीकार किया है कि उक्त भूमि क्रयशुदा प्लॉट पर मुझ प्रार्थी का कब्जा हैं। ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे की जॉच क्यो नहीं की गई। पर्चा मौका जो बनाया गया है उसमें भी तारीख में मशकुकी की गई हैं। रिक्त जगह भी छोड़ी गई हैं। आदेशिका क्रम संख्या 2 व 3 में भी कांट छांट की गई हैं। आदेशिका दिनांक 31.03.08 में भी

जगह छोड़ी गई हैं। पत्रावली में विपक्षी संख्या 1 की माली हालत के संबंध में कोई जॉच नहीं की गई। जबकि आदेशिक में आवेदक की आर्थिक स्थिति कमजोर होना लिखा गया हैं। नाथ़लाल गायरी से 100 रूपये मे ईकरार से उक्त भूमि खरीदी गई थी जिसका भी नियमानुसार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया एवं प्रथम दृष्ट्या यह भी साबित होता है कि विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कोई पुराना कब्जा नहीं था। उसने मात्र कब्जा खरीदा था। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में युआईटी क्षेत्र में स्थित होकर काफी महत्वपूर्ण एवं कीमती भूमि हैं। तहसीलदार बड़गॉव से जो जमाबन्दी की नकल मांगी गई थी उसमें जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में आराजी संख्या 281 आबादी में स्थित होकर वर्तमान में खातेदार नगर विकास प्रन्यास उदयपुर हैं। लाभार्थी के कब्जे बाबत् रिपार्ट भी किसी राजस्व अधिकारी कर्मचारी से नहीं ली गई। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किये जान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1956 के नियम 156 का उल्लंघन किया जाना प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट जाहीर होता है एवं तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को आर्थिक हानी पहूॅचायी गई है एवं विपक्षी संख्या 1 को अनुचित लाभ पहूॅचाने की कुचेष्टा की गई हैं। जिसकी विस्तृत जॉच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ईकाई उदयपुर द्वारा अलग से की जा रही हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार विपक्षी संख्या 1 को कार्यालय ग्राम पंचायत अम्बेरी द्वारा अपने मिसल संख्या 14 से संकल्प संख्या 4 दिनांक 31.03.08 से दिया गया पट्टा संख्या 2 नियमो की अनदेखी कर जारी किया गया है जो निरस्त योग्य होने से खारीज किया जाता हैं। भूमि को पुनः राज्य सरकार में निहित की जाती हैं। वर्तमान में उक्त भूमि का खातेदार नगर विकास प्रन्यास उदयपुर हैं। अतः निर्णय की प्रति नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को प्रेषित कर लिखा जावे कि तत्काल उक्त भूमि का कब्जा राज्यहीत में नगर विकास प्रन्यास

उदयपुर में लिया जाकर न्यायालय को निर्णय की पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति बड़गॉव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर